एंटोनियो गुटेरेस: दूसरे कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव

drishtiias.com/hindi/printpdf/antonio-guterres-2nd-term-un-secretary-general

प्रिलिम्स के लिये

संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन

मेन्स के लिये

महासचिव की नियुक्ति और उनका कार्यकाल

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) को 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2026 तक के लिये दूसरे कार्यकाल हेतु नौवें संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) के रूप में नियुक्त किया।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में गुटेरेस के फिर से चुनाव किये जाने पर अपना समर्थन व्यक्त किया था।

प्रमुख बिंदु

एंटोनियो गुटेरेस के बारे में:

- गुटेरेस ने 1 जनवरी, 2017 को पद की शपथ ली और उनका पहला कार्यकाल 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो रहा है।
- गुटेरेस ने जून 2005 से दिसंबर 2015 तक (एक दशक) शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया।
- **वह पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे।**

नियुक्ति:

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है।
- प्रत्येक महासचिव के पास दूसरे कार्यकाल का विकल्प होता है इसके लिये उसे सदस्य राज्यों का पर्याप्त समर्थन मामला आवश्यक है।
- गुटेरेस को एक संशोधित चयन प्रक्रिया द्वारा चुना गया जिसमें महासभा में एक सार्वजनिक अनौपचारिक संवाद सत्र शामिल था, इसमें नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करना था।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर:

- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस पर 26 जून, 1945 को सैन फ्राँसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन के अवसर पर हस्ताक्षर किये गए और 24 अक्तूबर, 1945 को यह लागू हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र अपने अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र (International Character) और अपने चार्टर में निहित शक्तियों के कारण कई तरह के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत साधन है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य इससे बँधे हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है, जिसमें राज्यों की संप्रभु समानता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग पर प्रतिबंध शामिल है।

UNGA के बारे में:

- महासभा संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में एक केंद्रीय स्थान रखती है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों से बना यह चार्टर कवर किये गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के पूर्ण स्पेक्ट्रम की बहुपक्षीय चर्चा के लिये एक अनूठा मंच प्रदान करता है।
- यह मानक-निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण की प्रक्रिया में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:

- वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित सुरक्षा परिषद के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।
- सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य राज्य हैं।
    - पाँच स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्राँस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।
    - सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं। हाल ही में भारत का चुनाव हुआ है।
- सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। मामले पर सुरक्षा परिषद का निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति मतों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, जब भी सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित हैं।

संयुक्त राष्ट्र से संबंधित चुनौतियाँ:

- UNSC द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वीटो पावर पर UNGA का कोई नियंत्रण नहीं है और यह UNSC के स्थायी सदस्यों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सकता है।
- 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद अब तक संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली शाखा है। हालाँकि वीटो पावर का इस्तेमाल पाँच स्थायी देशों द्वारा अपने और अपने सहयोगियों के रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिये किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी के कर्तव्यों को परिभाषित करने में अस्पष्ट है।

- हाल ही में **विश्व स्वास्थ्य संगठन** (WHO) की अमेरिका द्वारा कोविड-19 महामारी के संबंध में गलत जानकारी के कारण आलोचना की गई और बाद में उसने WHO को अपने वित्तीय योगदान को निलंबित कर दिया।
    - साथ ही WHO पर अमेरिकी सरकार का दबाव है कि वह अमेरिकी फार्मा कंपनियों के हितों के पक्ष में एक समान दृष्टिकोण अपनाए।
    - WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

संयुक्त राष्ट्र

स्थापना:

संयुक्त राष्ट्र (UN) वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

सदस्य:

- वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर सदस्य है और इसकी सभी विशिष्ट एजेंसियों और संगठनों में भाग लेता है।

गतिविधियाँ:

इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत् विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग हैं:

- महासभा (The General Assembly)
- सुरक्षा परिषद (The Security Council)
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (The Economic and Social Council)
- संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद (The Trusteeship Council)
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** (The International Court of Justice)
- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय (The UN Secretariat)

फंड और कार्यक्रम:

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र को बहुपक्षवाद के अधिक समावेशी, नेटवर्क एवं प्रभावी रूपों के लिये एक उत्प्रेरक और एक मंच के रूप में कार्य करना चाहिये।
- वर्तमान स्थिति में एक बेहतर दुनिया और सभी के भविष्य को बदलने की शक्ति हर जगह हर किसी पर निर्भर करती है और इसे तभी सफलतापूर्वक किया जा सकता है जब मानवता और ग्रह के लाभ के लिये एक साझा एजेंडा पर कार्य करने का प्रयास किया जाए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस